

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
CALCUTTA REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION A NON-DEPOSIT TAKING COMPANY

संख्या
No. 05-02294

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई ए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्न शक्तियों का प्रयोग करने हुए हायटोन मर्चेन्ट्स प्रा. लि. को

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने से रोकने के लिए दूसरी तरफ ली गयी शर्तों पर यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 1A of the Reserve Bank of India Act, 1934

HYTONE MERCHANTS PVT. LTD.
is hereby granted

Certificate of Registration

to ~~XXXXXX~~ carry on the business of non-banking financial institution subject to the conditions given on the reverse.

वर्ष उन्नीस सौ अठ्ठात्तवे के मई माह की सोलह तारीख को कलकत्ता में मेरे हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया।

Given under my hand

at Calcutta this sixteen day of the month of May in the year one thousand nine hundred ninety eight.



(महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक)